अनुदान संख्या 74 – विद्युत मंत्रालय
GRANT No. 74 - MINISTRY OF POWER

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	13434,97,00		16998,71,00	16889,67,60	-109,03,40
पूरक	Supplementary	3563,74,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					108,45,58
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	2334,95,00		3234,96,00	2960,43,26	-274,52,74
पूरक	Supplementary	900,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					274,52,74

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	134000.00			
पू.	S.	36372.00	..	..	..
पु.	R.	-170372.00			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"				
विद्युत	Power				
मू.	O.	1205182.00			
पू.	S.	320001.00	1684642.27	1684609.46	-32.81
पु.	R.	159459.27			

(I) ₹205372.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹36372.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत छह मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "ग्रामीण विद्युतीकरण – अन्य व्यय" –

(i) "ग्रामीण विद्युतीकरण और फीडर पृथक्करण" – ₹26750.00 लाख;

(ii) "सौभाग्य (ग्रामीण)" – ₹25000.00 लाख;

(ख) "पारेषण और वितरण – निदेशन और प्रशासन" –

(i) "विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण" – ₹94622.00 लाख (₹36372.00 लाख के पूरक अनुदान सहित); और

(I) Provision of ₹205372.00 lakhs (including supplementary grant of ₹36372.00 lakhs obtained in December, 2018) remained wholly unutilized in six cases under the following major heads:-

(A) Major Head "2552"-

(a) "Rural Electrification-Other Expenditure" -

(i) "Rural Electrification and Feeder Separation" - ₹26750.00 lakhs;

(ii) "Saubhagya (Rural)"- ₹25000.00 lakhs;

(b) "Transmission and Distribution-Direction and Administration" -

(i) "Strengthening of Power Systems"- ₹94622.00 lakhs (including supplementary grant of ₹36372.00 lakhs); and

(ii) "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के लिए विद्युत वित्त निगम" – ₹14000.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) "सौभाग्य" – ₹10000.00 लाख – शहरी क्षेत्रों में बिजली के कनेक्शन के कारण बिजली वितरण कंपनियों से दावों की प्राप्ति न होने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2801" – "पारेषण और वितरण – पारेषण और वितरण : एकीकृत विद्युत विकास स्कीम – पीएमडीपी 2015 जम्मू और कश्मीर पैकेज (केंद्रीय एजेंसी द्वारा)" – ₹35000.00 लाख – राज्य विद्युत वितरण कंपनियों से दावों की प्राप्ति न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "2801" – "पारेषण और वितरण – आरक्षित निधि को अंतरण – केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से पूरित आईपीडीएस स्कीम को अंतरण" – ₹285000.00 लाख की निधियां फरवरी, 2019 में पूरक अनुदान प्राप्त करके मुहैय्या कराई गईं थीं, जो, तथापि, चालू परियोजनाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा शहरी क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन के लिए बिजली वितरण कंपनियों से दावों की प्राप्ति न होने के कारण ₹3741.10 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) मुख्य शीर्ष "2801" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "पारेषण और वितरण" –

(क) "पारेषण और वितरण – एकीकृत विद्युत विकास स्कीम – सौभाग्य" – ₹44619.20 लाख की बचत (जुलाई, 2018 में प्राप्त किए गए ₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹63600.20 लाख

(ii) "Power Finance Corporation for Integrated Power Development Scheme" - ₹14000.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(iii) "Saubhagya"- ₹10000.00 lakhs - due to non-receipt of claims from DISCOMs on account of electricity connection in urban areas.

(B) Major Head "2801" - "Transmission and Distribution-Transmission and Distribution: Integrated Power Development Scheme - PMDP 2015 Jammu and Kashmir Package (Through Central Agency)"- ₹35000.00 lakhs - due to non-receipt of claims from the State DISCOMs.

(II) Under Major Head "2801" - "Transmission and Distribution- Transfer to Reserve Fund-Transfer to IPDS Scheme met from Central Road and Infrastructure Fund (CR&IF)" - funds of ₹285000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant in February, 2019 which, however, remained unutilized to the extent of ₹3741.10 lakhs - due to requirement of less funds towards ongoing projects and non-receipt of claims towards electricity connection in urban areas from DISCOMs.

(III) Under Major Head "2801"- savings occurred under the following heads :-

(A) "Transmission and Distribution"-

(a) "Transmission and Distribution: Integrated Power Development Scheme -Saubhagya" - saving of ₹44619.20 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹63600.20 lakhs

के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना–सौभाग्य" – ₹12100.10 लाख की बचत (जुलाई, 2018 में प्राप्त किए गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹14100.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – सौभाग्य" – ₹6591.10 लाख की बचत (जुलाई, 2018 में प्राप्त किए गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7300.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें शहरी क्षेत्रों में बिजली के कनेक्शन के लिए विद्युत वितरण कंपनियों से दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य" –

(क) "अनुसंधान और विकास – अनुसंधान और प्रशिक्षण" – ₹5566.00 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "विद्युत अधिनियम–2003 का संचालन – सांविधिक प्राधिकरण" – ₹6011.80 लाख की बचत (₹17568.23 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा विद्युत अपीलीय अधिकरण और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) "ऊर्जा संरक्षण अधिनियम–2001 का संचालन – संरक्षण और ऊर्जा किफायत" – ₹11817.00 लाख की बचत (₹15837.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति/सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा कम अवार्ड वितरण और स्कीमों के अनुमोदन में

including token supplementary grant of ₹0.20 lakh obtained in July, 2018);

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes-Saubhagya"- saving of ₹12100.10 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14100.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in July, 2018); and

(c) "Tribal Area Sub-Plan-Saubhagya"- saving of ₹6591.10 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7300.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in July, 2018).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of claims from DISCOMs for electricity connection in urban areas.

(B) "General"-

(a) "Research and Development -Research and Training"-saving of ₹5566.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Central Power Research Institute.

(b) "Administration of Electricity Act 2003-Statutory Authorities"- saving of ₹6011.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17568.23 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipts of less claims in Appellate Tribunal of Electricity and Central Electricity Authority.

(c) "Administration of Energy Conservation Act 2001-Conservation and Energy Efficiency"- saving of ₹11817.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15837.00 lakhs) was due to less award distribution and delay in approval of

विलंब के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹263304.80 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसाकि जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में मुख्य शीर्ष "2801" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹356373.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "पारेषण और वितरण" –

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(i) "अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹80000.00 लाख।

(ii) "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना" – ₹58250.00 लाख।

(iii) "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना हेतु विश्व बैंक अनुदान" – ₹70000.00 लाख।

(ख) "अन्य व्यय – विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण" – ₹3461.50 लाख।

(खा) "ग्रामीण विद्युतीकरण – दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" –

(क) "ग्रामीण विद्युतीकरण तथा फीडर पृथक्करण" – ₹26594.30 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹26594.42 लाख था।

(ख) "सौभाग्य" – ₹24999.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹24999.80 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2801" – "पारेषण और वितरण – पारेषण और वितरण : एकीकृत विद्युत विकास योजना –

schemes by Expenditure Finance Committee/Public Investment Board.

2.(I) The above savings were partly (₹263304.80 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹356373.00 lakhs in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 under Major Head "2801"- under the following heads:-

(A) "Transmission and Distribution" -

(a) "Direction and Administration"-

(i) "Strengthening of Transmission System in the States of Arunachal Pradesh and Sikkim"- ₹80000.00 lakhs.

(ii) "Power System Improvement Project for NER" - ₹58250.00 lakhs.

(iii) "World Bank Grant for Power System Improvement Project for NER" - ₹70000.00 lakhs.

(b) "Other Expenditure-Strengthening of Power Systems" - ₹3461.50 lakhs.

(B) "Rural Electrification - Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana"-

(a) "Rural Electrification and Feeder Separation"- ₹26594.30 lakhs. Actual excess, however, was ₹ 26594.42 lakhs.

(b) "Saubhagya"- ₹24999.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹24999.80 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2801"- "Transmission and Distribution -

विद्युत वित्त निगम–एकीकृत विद्युत विकास स्कीम हेतु" – के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹21759.00 लाख का अधिक व्यय (₹181800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण तथा विद्युत वित्त निगम द्वारा शहरी क्षेत्रों के गांवों में विद्युतीकरण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ ।

Transmission and Distribution: Integrated Power Development Scheme-Power Finance Corporation-for Integrated Power Development Scheme" - excess of ₹21759.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹181800.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds by Power Finance Corporation for electrification in villages of urban areas.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹27452.74 लाख) दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹90001.00 लाख के पूरक अनुदान का 31 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 8 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹27452.74 lakhs) constituted 31 percent of the supplementary grants of ₹90001.00 lakhs obtained in December, 2018 and February, 2019 and 8 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	26745.00	..	..	..
पु.	R.	-26745.00			
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	68550.00			
पू.	S.	1.00	74400.00	74400.00	..
पु.	R.	5849.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6552"	Major Head "6552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कर्ज	Loans for North Eastern Areas				
मू.	O.	9000.00	..	..	..
पु.	R.	- 9000.00			
मुख्य शीर्ष "6801"	Major Head "6801"				
विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज	Loans for Power Projects				
मू.	O.	129200.00			
पू.	S.	90000.00	221643.26	221643.26	..
पु.	R.	2443.26			

(I) ₹35745.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों के तहत पूर्णतया अप्रयुक्त रहाः–

(I) Provision of ₹35745.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" – "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – सीपीएसई को सहायता" – ₹26745.00 लाख; और

(A) Major Head "4552" - "Diesel/Gas Power Generation-Investment in Public Sector and Other Undertakings-Assistance to CPSEs" - ₹26745.00 lakhs; and

(खा) मुख्य शीर्ष "6552" – "विद्युत परियोजनाओं को कर्ज – सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज – विद्युत व्यय निगम – एकीकृत विद्युत विकास स्कीम हेतु" – ₹9000.00 लाख।

(B) Major Head "6552" - "Loans to Power Projects-Loans to Public Sector and Other Undertakings - Power Finance Corporation - for Integrated Power Development Scheme" - ₹9000.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण हुआ।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "6801" – "आरक्षित निधि को अंतरण – केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरएण्डआईएफ) से पूरित आईपीडीएस स्कीम को अंतरण" – ₹90000.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, जो, तथापि ₹3278.37 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं; और

(II) Under Major Head "6801" - "Transfer to Reserve Fund-Transfer to IPDS Scheme met from Central Road and Infrastructure Fund (CR&IF)"- funds of ₹90000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilized to the extent of ₹3278.37 lakhs; and

(III) मुख्य शीर्ष "6801" – "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – विद्युत वित्त निगम–एकीकृत विद्युत विकास स्कीम हेतु" के अंतर्गत – ₹3278.37 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(III) Under Major Head "6801" - "Tribal Area Sub-Plan - Power Finance Corporation-for Integrated Power Development Scheme" - saving of ₹3278.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विद्युत वित्त निगम से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims from Power Finance Corporation.

(IV) मुख्य शीर्ष "4801" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं:–

(IV) Under Major Head "4801" - savings occurred under the following heads :-

(का) "जल विद्युत उत्पादन – सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – सीपीएसई को सहायता" – ₹2400.00 लाख की बचत (₹5200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टिहरी जल विकास कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(A) "Hydel Generation - Investments in Public Sector and Other Undertakings -Assistance to CPSEs"- saving of ₹2400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5200.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Tehri Hydro Development Corporation Limited.

(खा) "ताप विद्युत उत्पादन – सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम" – ₹7350.00 लाख की बचत (₹12350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोयला धारक क्षेत्रों के अधिग्रहण में कम लक्ष्य प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(B) "Thermal Power Generation - Investments in Public Sector and Other Undertakings - National Thermal Power Corporation of India"- saving of ₹7350.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12350.00 lakhs) was due to fewer targets achieved in acquisition of Coal Bearing Areas.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹9499.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "4801" – "सामान्य – अन्य व्यय – विद्युत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

4.(I) The above savings were partly (₹9499.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "4801" - "General - Other Expenditure - Strengthening of Power System".

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "4801" – "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन – सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – सीपीएसई को सहायता" – ₹6100.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में); और

(खा) मुख्य शीर्ष "6801" – "सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज – विद्युत वित्त निगम – एकीकृत विद्युत विकास स्कीम हेतु" – ₹9000.00 लाख का अधिक व्यय (₹60800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552"/"6552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "4801" - "Diesel/Gas Power Generation-Investments in Public Sector and Other Undertakings-Assistance to CPSEs"- excess of ₹6100.00 lakhs (against nil provision); and

(B) Major Head "6801" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings-Power Finance Corporation - for Integrated Power Development Scheme" - excess of ₹9000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60800.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552"/"6552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.